रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270030
CG-DL-E-11022026-270030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947
No. 111]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 117(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र के कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यालय अधीक्षक	23* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियाँ द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) । आमेलन द्वारा, तथा (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र के प्रवर श्रेणी लिपिक जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और, जिसने श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा संस्थान, नोएडा अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठन के अधिकारीः	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष;** 2. उप सचिव (प्रशासन), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **– सदस्य;** 3. अवर सचिव, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य; और** 4. उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य ।** **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **-अध्यक्ष;** 2. उप सचिव (प्रशासन), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्यः**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो. अर्थात् (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक उपाधि (ii) लेखा अथवा स्थापना अथवा प्रशासन में दो वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1. पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4.- केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।	3. अवर सचिव, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य; और** 4. उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य ।**	

[फा. सं. : डीजीई-ए-12018/1/2025-ईई-॥]

अंजलि रावत, उपमहानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2026

G.S.R. 117(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Vocational Rehabilitation Centres (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Office Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent, Group 'B' (Non-Gazetted) in the offices of the National Career Service Centre for Differently Abled under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled, Office Superintendent (Group 'B', Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Office Superintendent.	23* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years for promotees.	(i) Fifty per cent by deputation (including short term contract)/ absorption; and (ii) Fifty per cent by promotion failing which deputation (including short term contract).	**Promotion:** Upper Division Clerk in the National Career Service Centre for Differently Abled in level 4 (Rs.25,500-81,100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the relevant areas from the National Institute for Career Services, Noida, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment or any other recognised Institute as prescribed by the competent authority. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Director(Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Chairperson;** 2. Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member;** 3.Under Secretary, Directorate General of Employment, Ministry	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)/ Absorption:** Officers under the Central or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research organisation: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 5 (Rs. 29,200-92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor's Degree from a recognised university or institute; and (ii) Two years experience in Accounts or Establishment or Administration. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some	of Labour and Employment – **Member; and** 4. Deputy or Assistant Director (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member.** Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1.Director (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Chairperson;** 2. Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member;** 3. Under Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment - **Member; and** 4. Deputy or Assistant Director (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member.**	

		other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. **Note 4:** Officers from the Central or State Governments or Union territory administrations are eligible to be considered for absorption.		

[F. No. DGE-A-12018/1/2025-EE-II]

ANJALI RAWAT, DDG(E)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.11 11:34:00 +05'30'